कार्यालय मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः --अ.मु.अ.(प्ला.)/अ.अ.,एस.एस&सी/परिपत्र/2021–22/डी– 21 दिनांक 7/3/2022

परिपत्र

संविदात्मक करार जो कि राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर द्वारा संवदेक के साथ किये जाते है, उनमें मतभेद होने पर निर्णयार्थ मध्यस्थ को भेजे जाने का प्रावधान रखा जाता है। माध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम 1996 में वर्णित माध्यस्थम् (Arbitration) प्रकिया अत्यन्त खर्चीली है तथा मध्यस्थ (Arbitrator) द्वारा पारित अवार्ड को चुनौती देने के प्रावधान भी सीमित है जिससे राज्य के हित विपरीत रूप से प्रभावित होते है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए महाधिवक्ता माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मुख्य सचिव महोदय को प्रेषित पत्र दिनांक 08.08.2019 से संविदात्मक करारों से माध्यस्थम् क्लॉज को हटाने का अभिमत दिया गया। महाधिवक्ता ने वाणिज्यिक न्यायालय एक्ट 2015 की ओर भी ध्यान आकर्षित कराते हुए यह राय दी है कि वर्तमान में समस्त वाणिज्यिक मतभेदों को वाणिज्यिक न्यायालय से निर्णित कराया जाना राज्य हित में होगा।

महाधिवक्ता के द्वारा दिये गये उक्त सुझावों के परिप्रेक्ष्य में माध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम 1996 एवं वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 के प्रावधानों के संदर्भ में प्रयोज्यता बाबत् राज्य सरकार द्वारा संवेदक से किये जाने वाले अनुबंधो में Deletation of Arbitration Clause के संबध मे प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित करने पर वित्त विभाग की वित्त (जी एण्ड टी) शाखा द्वारा PWF & AR में माध्यस्थम् का प्रावधान नही होने का उल्लेख किया है।

तदनुसार निर्देशित किया जाता है कि चूंकि PWF & AR में मध्यस्थता का प्रावधान नहीं है अतः भविष्य में किये जाने वाले समस्त अनुबंधों में माध्यस्थम् का क्लॉज नही रखा जाये। यदि किसी प्रकरण विशेष में माध्यस्थम् क्लॉज रखा जाना आवश्यक हो तो ऐसे प्रकरण मे वित्त विभाग की पूर्व अनुमति से ही माध्यस्थम् करार रखा जाना वांच्छनीय होगा।

राज्य सरकार द्वारा संवेदक से किये जाने वाले अनुबन्ध के सम्बन्ध में विवाद होने की स्थिति में वाणिज्यिक न्यायालय/सक्षम सिविल न्यायालय के निर्णय मान्य होगें, ऐसा प्रावधान अनुबंधों में रखा जायें।

3/3/2022
(संजीव माथुर)
मुख्य अभियन्ता (पथ)एवं अति.सचिव
सा.नि.वि.,राजस्थान,जयपुर

क्रमांकः –अ.मु.अ.(प्ला.)/अ.अ.,एस.एस&सी/परिपत्र/2021–22/डी–21 दिनांक– 07/03/2022

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1.निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय,राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सा.नि.वि., शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, सा.नि.वि., शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य अभियन्ता एवं अति. शासन सचिव, सा.नि.वि.,राजस्थान, जयपुर।
5. मुख्य अभियन्ता, पथ/भवन/एन–एच/गुणवत्ता नियंत्रण/पीएमजीएसवाई/विद्युत सा.नि. वि., राजस्थान।
6. प्रबंध निदेशक आरएसआरडीसी लिमिटेड जयपुर।
7. निजी सचिव, वित्तीय सलाहकार, सा.नि.वि., जयपुर।
8. संयुक्त विधि परामर्शी, सा.नि.वि., जयपुर।
9. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता समस्त, सा.नि.वि., राजस्थान।
10. अधीक्षण अभियन्ता समस्त, सा.नि.वि., राजस्थान।
11. मुख्य लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी/खण्डिय लेखाधिकारी/खण्डीय लेखाकार (मुख्यालय/समस्त संभाग/वृत कार्यालय/खण्ड कार्यालय, सा.नि.वि., राजस्थान।
12. अधिशाषी अभियन्ता समस्त, सा.नि.वि., राजस्थान।
13. संयुक्त निदेशक (सिस्टम ऐनालिस्ट) सा.नि.वि. को भिजवाकर लेख है कि उक्त परिपत्र को सा.नि.वि. की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

3/3/2022
(संजीव माथुर)
मुख्य अभियन्ता (पथ)एवं अति.सचिव
सा.नि.वि.,राजस्थान,जयपुर